अध्याय-IV: पुर्जों का प्रबंधन

4.0 परिचय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा (1992 की रिपोर्ट संख्या 14) आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन की संवीक्षा की गई, जिसमें मरम्मत योग्य उपकरणों की अनुपलब्धता तथा पुर्जों के खराब बॅकअप के कारण एबीडब्ल्यू की पूरी क्षमता की अनुप्रयुक्तता को रेखांकित किया था।

कार्रवाई की गई टिप्पणी में, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2000) कि, उपकरण को शामिल करने से पहले उपकरण प्रबंधन नीति (अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदण्ड) के द्वारा वास्तविक लक्ष्यों के पूर्वानुमान तथा उसको हासिल करने के लिए विविध कदम उठाए गए थे। मंत्रालय ने पुर्जों की उपलब्धता के पुनरीक्षण हेतु वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही बैठकों के आयोजन का सुझाव भी दिया था।

एबीडब्ल्यू द्वारा लक्ष्यों की अप्राप्ति संबंधी टिप्पणी भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2005 के प्रतिवेदन की संख्या 6 (पैरा 3.1) में भी की गई थी। कार्रवाई की गई टिप्पणी में, मंत्रालय ने यह स्वीकार (नवम्बर 2006) किया कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण पुर्जों की अनुपलब्धता था । पुर्जों की अनुपलब्धता की समस्याओं से उभरने के लिए विभिन्न कार्रवाईयाँ, जैसे कि, हित धारकों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन, लक्ष्य निर्धारण बैठक तथा मध्यावधि पुनरीक्षण बैठकों के दौरान चर्चा करना तथा जहाँ कहीं भी अभियांत्रिकी मानदंड पूरे होते हैं, वहाँ अत्यावश्यक माँग को पूरा करने के लिए, सीमित स्थानीय खरीद इत्यादि , मंत्रालय द्वारा की गई थी।

एटीएन के जरिए मंत्रालय द्वारा लिए गए सुधारात्मक कदमों के बावजूद, पुर्जों की अनुपलब्धता जारी रही, जो कि, ओवरहाल लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य बाधा बनी रही। हमने प्रावधानीकरण सहित पुर्जों के प्रबंधन के उपायों के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया। डीजीईएमई, एचक्यू बीडब्ल्यूजी, एबीडब्ल्यू तथा फीडिंग आयुध डिपो के रिकार्डों का हमारा परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रकट करता हैः

4.1 पुर्जों का प्रावधान

एमजीओ की अध्यक्षता में लक्ष्यों के निर्धारण तथा संशोधन पर वार्षिक संवीक्षा बैठकों में एबीडब्ल्यू के ओवरहाल के लिए लक्ष्यों को तय किया जाता है। तदनुसार, डीजीओएस सेना में रखरखाव तथा ओवरहाल के लिए वाहनों की कुल संख्या निर्दिष्ट करते हुए विशेष प्रावधान पुनरीक्षण निर्देश (एसपीआरडी) जारी करते हैं। निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों तथा सामग्रियों की पूर्व प्रावधान की जिम्मेदारी फीडिंग डिपो की है अर्थात् सीएएफवीडी तथा सीओडी। एसपीआरडी के आधार पर, पुर्जों के प्रावधान के लिए संबंधित फीडिंग डिपो द्वारा कार्रवाई की शुरूआत की जानी आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया एबीडब्ल्यू के उत्पादन वर्ष से पाँच वर्ष पूर्व शुरु होनी चाहिए। फीडिंग डिपो आवश्यक पुर्जों को आयुध फक्ट्रियों, पीएसयू तथा व्यापार के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक वर्कशॉप को विशेष रुप से समन्वय तथा पुर्जों की समय पर उपलब्धता की सुविधा के लिए आयुध भंडार अनुभाग (ओएसएस) प्रदान किया गया है। प्रत्येक वर्ष के जून माह में, अर्थात उत्पादन वर्ष के नौ महीने पहले, फीडिंग डिपो को ओवरहाल कार्यक्रम के अनुसार पुर्जों की माँग रखने के लिए ओएसएस जिम्मेवार है।

4.1.1 पुर्जों की आपूर्ति में आयुध डिपो की असफलता

पुनरीक्षण अवधि के दौरान, एबीडब्ल्यू के ओएसएस रिकार्डों से यह पता चला कि, माँगे गए पुर्जे आवश्यक रेंज[16] तथा मात्रा[17] में वर्कशॉप को डिपो द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं हुए। अनुपलब्धता का विवरण नीचे तालिका-25 में सारांश रूप में दिया गया है:-

तालिका 25: वर्ष के दौरान में सामग्रियों की अनुपलब्धता

वर्ष	512 एबीडब्ल्यू @			505 एबीडब्ल्यू #			510 एबीडब्ल्यू *		
	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत
2010-11	1580	996	37	4894	2757	44	12612	3514	72
2011-12	2565	1942	24	5702	2758	43	9497	3169	67
2012-13	2267	1501	34	3386	1664	50	9380	2649	72
2013-14	2490	2008	19	4541	2080	54	6260	1656	74
2014-15	2741	2060	25	4274	2426	43	9684	3041	69
2015-16	3520	2640	25	8320	4242	49	6992	2701	61

@ बीएमपी के लिए सीएएफवीडी, किरकी से सामग्रियों की माँग
# टैंक टी-72 के लिए सीएएफवीडी, किरकी से सामग्रियों की माँग
*सभी सीओडी से माँगी गई कुल सामग्रियों

512 एबीडब्ल्यू में यह देखा जा सकता है कि, बीएमपी की कुल सामग्रियों के पुर्जों की अनुपलब्धता की प्रतिशतता 19 से 37 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, 505 एबीडब्लयू तथा 510 एबीडब्ल्यू में अनुपलब्धता प्रतिशतता क्रमश: 43 तथा 54 प्रतिशत और 61 तथा 74 प्रतिशत के बीच थी।

हमने देखा कि, 512 एबीडब्लयू में कुछ उत्पादन होल्ड अप सामग्रियाँ जैसे कि क्रैंक शाफ्ट एसम्बली (ओवरहाल मापन के अनुसार ओवरहाल किए गए प्रत्येक दस इंजिनों में से चार को नए के साथ बदला जाना है), जो यूटीडी 20 इंजन के ओवरहाल के लिए आवश्यक थी, 2012-13 से उपलब्ध नहीं हो पायी। युटीडी 20 इंजिनों के लिए आवश्यक रेंज तथा मात्रा में पुर्जों की अनुपलब्धता की वजह से सुविधाओं को चलाने के लिए 512 एबीडब्ल्यू द्वारा फीडिंग डिपो से अतिरिक्त मरम्मतीय इंजिनों को बुलाना पड़ा। इसके फलस्वरुप 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल के लिए मार्च 2016 तक 100 इंजिनों का संचय हुआ। बीएमपी वाहनों (ओवरहाल मापन है 40 इंजिन प्रति 100) के ओवरहाल के लिए यूटीडी 20 इंजन भी प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार वर्कशॉप ने नए इंजनों की बजाय ओवरहाल किए गए इंजनों का उपयोग किया।

इसी प्रकार, 505 एबीडब्ल्यू में कुछ उत्पादन होल्ड अप सामग्रियाँ जैसे कि, ईआरए बॉक्स[18], ट्रॅक एसम्बली, एएस-34 अंतरिम संचार संयंत्र, नाइट साइट्स (टीकेएन-3 तथा टीपीएन-1-49-23) 2012-13 से पूरी मात्रा में अनुपलब्ध रहे। ईआरए बॉक्स टैंक को एन्टी टैंक गोला बारूद से बचाने के लिए, ट्रॅक एसम्बली वह भाग है, जिस पर टैंक आगे बढ़ता है जबकि, नाइट साइट्स रात्री दृष्टि प्रदान करती है। इन सामग्रियों की निरंतर अनुपलब्धता के कारण, टैंकों का ओवरहाल विचलन संस्वीकृतियों के साथ पूरा किया गया, जिसने टैकों की सामरिक क्षमता को प्रभावित किया।

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 509 एबीडब्ल्यू के रिकार्डों के हमारे परीक्षण ने यह उद्घाटित किया कि, वर्कशॉप द्वारा माँगे गए पुर्जों की सीओडी,आगरा द्वारा संपूर्ण रेंज तथा मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई। 2010-11 से

[16]पुर्जों के प्रकार- ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों के कुल प्रकार।
[17]पुर्जों की मात्रा – विशिष्ट पुर्जों की आवश्यक मात्रा।
[18]**एआरए बॉक्स**- टैंकमार गोला-बारुद से बचाव करने के लिए प्रदान किया जाता है, ओवरहाल में नई एसम्बली की जगह मरम्मत की गई पुरानी ट्रॅक एसम्बली को जोड़ा गया। एएस-34 की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक संचार संभव नहीं होता व नाइट साइट्स (टीकेएन-3 तथा टीपीएन-1-49-23) की गैर-मौजूदगी से प्रभावित टैंको में रात्रि दृष्टि क्षमता मौजूद नहीं थी।

2015-16 की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि रडार, रेडियो, लाइन तथा ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के विषय में, पुर्जों की अपालन प्रतिशतता क्रमश: 36 से 52, 61 से 76, 71 से 94 तथा 64 से 93 थी। आपूर्ति विलंबन में 72 प्रकारों के पुर्जे शामिल थे जो पाँच वर्षों से ज़्यादा लंबित थे।
उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, उत्पादन होल्ड-अपों के लिए पुर्जों की न्यूनतम उपलब्धता एक प्राथमिक कारण था तथा एबीडब्ल्यू द्वारा लक्ष्यों से फिसलन तथा कम निष्पादन होने का मुख्य कारण, आयुध फक्टरियों/ डीपीएसयू द्वारा पुर्जों की डिलिवरी नहीं हो पाना था।

ओएफ/डीपीएसयू द्वारा पुर्जों की आपूर्ति में विलंब/अनापूर्ति के कारण फीडिंग डिपो के पुर्जों के कम अनुपालन ने ओवरहालों के लक्ष्यों को प्रभावित कर दिया, जिसने ओवरहाल में बहुतायत से बॅकलॉग की ओर अग्रसर किया और फलस्वरूप फील्ड सेना में उपकरण की उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे सामरिक सुसज्जता में गिरावट आ गई।

4.1.2 सीएएफवीडी, किरकी द्वारा पुर्जों की माँग को रखे जाने में विलम्ब

सेना मुख्यालय अनुदेशों के अनुसार, प्रावधान पुनरीक्षण की तिथि से दो महीने के भीतर आयुध डिपो द्वारा माँग/आपूर्ति आदेशों को दिया जाना चाहिए। पुनरीक्षण अवधि के दौरान डिपो द्वारा किए गए प्रावधानों के परीक्षण हेतु नमूना जाँच के रूप में टैंक टी-72 तथा बीएमपी के तेईस क्रिटिकल पुर्जों को जाँचा गया।

हमने देखा कि, सात मामलों में, माँग पत्र जो कि कमाडंट सीएफएवीडी के वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आते थे, अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के आईएचक्यू को भेजे गए। इन मामलों में या तो सीएफए से मंजूरी पाने में विलम्ब हुआ या मंजूरी प्रदान नहीं की गई तथा जिन मामलों में मंजूरी में विलम्ब हुआ था उन मामलों में सीएफवीडी द्वारा आपूर्ति आदेश नहीं रखे गए थे। शेष 16 मामलों में, पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए सीएएफजीडी के कमांडंट द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा इनके आपूर्ति आदेश निजी विक्रेताओं को दिए गए थे। फर्मों से भण्डारों की आपूर्ति में असफलता की मुख्य वजह से, इन सभी आपूर्ति आदेशों को सितंबर 2011 से फरवरी 2012 के दौरान रद्द कर दिया गया था। तत्पश्चात, सभी 23 सामग्रियों की आपूर्ति के लिए आयुध फैक्ट्ररियों को मार्च 2012 में माँगपत्र भेजे गए। संयोग से इन सभी आपूर्ति आदेशों को निजी विक्रताओं को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि रक्षा मंत्रालय दिशानिर्देशों (मार्च 2002) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि, टी-72 एवं बीएमपी के सभी पुर्जों की अधिप्राप्ति को ओईएम अर्थात आयुध फैक्ट्ररियों से पूरा किया जाना था।

सभी चयनित 23 मामलों में, ओईएम को भेजे गए आपूर्ति आदेशों को रखे जाने में असामान्य विलम्ब हुआ जो कि 725 से 2551 दिनों के बीच था।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि, आपूर्ति का एकल स्रोत/मापन में घटाव, सीएफए से संस्वीकृति प्राप्ति में प्रक्रियागत विलंब, डीजीक्यूए निरीक्षण मसलें, टीपीसी माँग-पत्रों का रद्द होना तथा सामग्रियों का फॅक्टरी के बिल में न होने के कारण, विलंब हुए।

यह उत्तर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि, संगठन में आंतरिक विलंब अधिप्राप्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार, ओवरहाल के उत्पादन वर्ष के शुरूआत में एबीडब्ल्यू को ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों को जारी करने के लिए अधिप्राप्ति के पाँच वर्षों के पूर्व नियोजन के मुख्य उद्देश्य को ही इसने विफल कर दिया।

4.1.3 आयुध फॅक्टरियों पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना

टैंक टी 72 तथा बीएमपी के लिए ओईएम होने के कारण आयुध फॅक्टरियों (ओएफ) को पुर्जों का मनोनित सप्लायर बनाया गया है। इन लड़ाकू वाहनों के पुर्जों के लिए सीएफवीडी, किरकी संबंधित ओएफ को माँगपत्र देता है। सभी हित धारकों, जिसमें ओएफबी से प्रतिनिधि भी शामिल हैं, के साथ, उचित विचार विमर्श के पश्चात एमजीओ द्वारा फॅक्टरियों के लिए पुर्जों की आपूर्ति हेतु वार्षिक लक्ष्यों को निश्चित किया जाता है।हमने देखा कि, हालाँकि, आयुध फॅक्टरियों की पुर्जों की आपूर्ति की अंतरिम अवधि[19](आयपी) 36 महीने थी, परंतु फैक्टरियाँ पर्याप्त रेंज तथा मात्रा में पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पायी।

हमारे परीक्षण से यह उद्घाटित हुआ कि, सितंबर 2015 तक, सीएएफवीडी द्वारा मार्च 2013 तक रखे गए 15240 माँगपत्र, श्रेणी 'ए' वाहनों के लिए पुर्जों की आपूर्ति के लिए जिम्मेवार नौ फैक्टरियों के पास, डिलिवरी के लिए अतिदेय हो गए थे। जहाँ तक बीएमपी, टैंक टी 72 तथा इन दोनों वाहनों के इंजनों के लिए पुर्जों की आपूर्ति का संबंध है ,एचवीएफ, आवडी, ईएफ, आवडी तथा ओएफ, मेडक से क्रमशः 10499, 11122 तथा 2749 माँग-पत्रों की आपूर्ति प्रतिक्षित थी। इसमें 2002-03 से ईएफ, आवडी तथा 2003-04 से एचवीएफ के बकाया माँगपत्र शामिल थे।

4.1.4 पीएसयू पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना

(i) टाट्रा वाहन, जो श्रेणी 'बी' अर्थात गैर-लड़ाकू वाहन है तथा टैंकों के यातायात के लिए व मिसाइल लाँचर, गन-टोईंग ट्रक्टर, गोलाबारूद वहन करने, मीडियम रिकवरी वाहनों इत्यादि के रूप में भी भारतीय सेना में प्रयोग में लाए जाते हैं। टाट्रा वाहनों का ओवरहाल मेरठ तथा इलाहाबाद के एबीडब्ल्यू द्वारा किया जाता है। सीओडी, देहूरोड इनका फीडिंग डिपो है और मेसर्स बीईएमएल, बंगलुरू टाट्रा वाहन के सभी पुर्जों की आपूर्ति तथा संकलन के लिए मनोनित है।

सीओडी, देहुरोड के निरीक्षण में हमने पाया कि, टाट्रा वाहन/इंजिन के पुर्जों की आपूर्ति के लिए 2008-14 अवधि के दौरान बीईएमएल पर रखे गए 142 आपूर्ती आदेश (997 सामग्रियाँ) कार्यान्वित नहीं हो पाए।

आगे, बीईएमएल, बंगलुरू के रिकार्डों के हमारे परीक्षण से यह पता चलता है कि, 795 सामग्रियों की आपूर्ति 100 प्रतिशत बकाया थी तथा 25 सामग्रियों की आंशिक आपूर्ति की गई थी। इसका कारण ओईएम द्वारा पुर्जों की अनापूर्ति, नॉन-युरों वर्जन के टाट्रा वाहनों के पुर्जों के लिए दिए आदेश के बहुतांश सामग्रियों का स्वदेशीकरण न होना तथा जून 2012 पश्चात् बीईएमएल पर आयात प्रतिबंध की बाहरी परिस्थितियों को बताया गया।

उपर्युक्त परिस्थिति इस तथ्य के बावजूद हुई कि, टाट्रा वाहनों तथा उनके पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए 1986 में पहले से ही ओईएम (मेसर्स ओम्निपॉल) के साथ मेसर्स बीईएमएल का करार हो चुका था। बीईएमएल द्वारा पुर्जों के स्वदेशीकरण में असामान्य विलंब के मसले को हमारी पिछली रिपोर्ट (संघ सरकार, रक्षा सेवाएँ की 2014 की सीएजी के प्रतिवेदन संख्या 35 के पैरा 2.1) में रेखांकित किया गया था। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि, 2007 तक पुर्जों का स्वदेशीकरण करना शुरू नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप 2013 तक कुल 10,878 सामग्रियों में से 4,423 सामग्रियों अर्थात् 40.66 प्रतिशत का ही देशीकरण किया गया था। आगे, 4078 देशीकृत सामग्रियों में से ₹ 39.51 करोड़ के मूल्य की 1758 सामग्रियों की आपूर्ति में कमी पाई गई जिसके लिए 2008-14 के दौरान सीओडी देहूरोड द्वारा आदेश रखे गए थे।

[19]**अंतरिम अवधि-** वह अवधि जिसके दौरान आपूर्तिकर्ता को भण्डारों की आपूर्ति करनी होती है।

(ii) 2010-16 की अवधि के दौरान, उपकरण जैसे कि रडार फ्लाय कैचर, रडार टीसी रिपोर्टर इत्यादि, के लिए इलेक्ट्रानिक सामग्रियों के आपूर्ति के लिए सीओडी, आगरा द्वारा मेसर्स बीईएल को ₹ 475.78 करोड़ के मूल्य के रखे गए कुल 1152 आपूर्ति आदेशों में से मेसर्स बीईएल के पास ₹ 323.21 करोड़ मूल्य के 689 आदेश (60 प्रतिशत) बकाया थे जैसा कि नीचे तालिका-26 में निर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 26 : मेसर्स बीईएल के पास लम्बित आपूर्ति आदेश

वर्ष	रखे गए आपूर्ति आदेश	बकाया आपूर्ति आदेश		बकाया आपूर्ति आदेशों के मूल्य (₹ करोड़ में)
		संख्या	अक्रियान्वयन का %	
2010-11	188	107	57	8.44
2011-12	294	119	40	31.28
2012-13	109	45	41	20.90
2013-14	53	28	53	39.96
2014-15	188	105	56	57.21
2015-16	320	285	89	165.42
कुल	**1152**	**689**	**60**	**323.21**

हमने देखा कि, इन लम्बित आपूर्ति आदेशों में 72 प्रोडक्शन होल्ड-अप सामग्रियाँ भी समाहित थीं। इन प्रोडक्शन होल्ड-अप पुर्जों की अनुपलब्धता ने रडार फ्लाईकॅचर, बीएफएसआर तथा टीसी रिपोर्टर के ओवरहाल को प्रभावित किया।

4.2 क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना

एचक्यू बीडब्ल्यूजी द्वारा जारी (नवम्बर 2004) तकनीकी अनुदेश संख्या 2 के अनुसार, घटकों या संशोधित किट की अनुपलब्धता के मामले में संबंधित एबीडब्ल्यू द्वारा विचलन संस्वीकृतियाँ प्रारंभ की जा सकती हैं, बशर्ते ये समग्र रूप में उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता तथा निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले तथा कर्मीदल या आपरेटर की लाइफ पर खतरा न हो। विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना नित्यकर्म न हो बल्कि अपवाद रूप में ही हो।

वर्कशॉपों से जुड़े गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता (क्यूसीईओ), जो मुख्यालय बेस वर्कशॉप ग्रुप के अधीन सीधे कार्यरत होते हैं, अपनी अभ्युक्तियों में विचलन के लिए सिफारिश या अन्यथा, देते समय दोनों तकनीकी तथा तार्किक, विस्तृत औचित्य तथा कारणों को स्पष्ट करते हैं। जहाँ विचलन संस्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं, उपकरण के कुशल संचलन के लिए एबीडब्ल्यू के कमांडंट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होते हैं। इस संबंध में चयनित वर्कशॉपों में निम्नवत बिंदुओं को देखा गया।

505 एबीडब्ल्यू

क्रिटिकल पुर्जों तथा एसेम्बलियों की अनुपलब्धता के कारण, डिपो/युनिटों को टैंकों टी -72 को जारी करते समय एमजीओ द्वारा जिन सामग्रियों के लिए विचलनों को प्रदान किया गया था, उसे तालिका-27 में विनिर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 27 : पुर्जों की माँग के लिए 505 ए बी डब्ल्यू में प्रदान की गई विचलन स्वीकृतियाँ

वर्ष	टी-72 का	सामग्रियाँ जिनके लिए विचलन प्रदान किए गए थे						
		गनर एनवीडी टीपीएन 1-49, एनवीडी टीकेएन-3	ईआरए बॉक्स	एएस-34	एएस-37	रोड व्हिल	ट्रॅक ऐसे	गॅसोलिन इंजिन
2010-11	35	35	--	--	--	--	--	--
2011-12	10	09	--	01	--	--	01	--
2012-13	50	06	40	22	--	--	43	09
2013-14	30	--	30	15	18	22	06	04
2014-15	40	--	40	--	15	38	13	12
2015-16	40	--	10	--	--	10	10	05

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि, महत्वपूर्ण सामग्रियों जैसे ईआरए बॉक्स, ट्रॅक एसेम्बली, एएस-34, रात्री दृष्टि संयंत्र को बदले बगैर टैंकों को विचलन संस्वीकृति के साथ, युनिटों को प्रयोग के लिए जारी किया गया था। यह फील्ड में अभी भी प्राप्त किए जाने थे, तथा इसकी वजह से टैंकों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् ईआरए बॉक्स- जो विस्फोटक प्रहार से टैंकों की रक्षा करता है, ट्रॅक एसेम्बली-टैंक के चलने के लिए प्रयुक्त, एएस-34-संचार संयंत्र तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों के महत्व को देखते हुए, सामरिक उद्देश्य के लिए टैंकों का युनिटों को जारी करना जीवन तथा उपकरण के नुकसान के जोखिम से युक्त है।

512 एबीडब्ल्यू

512 एबीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तावित तथा एमजीओ द्वारा प्रदान किए गए विचलन संस्वीकृतियों के संकलित आकड़ों से हमने यह देखा कि, पुनरीक्षण अवधि (2010-16) के दौरान सीएएफवीडी को जारी सभी 398 ओवरहाल किए गए बीएमपी को विचलन संस्वीकृति दी गई थी। हमने देखा कि, तकनीकी अनुदेशों के प्रावधानों के विपरीत विचलन संस्वीकृतियाँ दिनचर्या के रूप में प्रदान की गई थीं तथा गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता (क्यूसीई) की सिफारिशों के बावजूद 139 बीएमपी को जारी किया गया, जिसमें 2010-11 में ओवरहाल किए गए 19 बीएमपी और 2013-14 में ओवरहाल किए गए 77 बीएमपी शामिल थे जिन्हें, नाइट विज़न संयंत्रों की अनुपलब्धियों के कारण क्यूसीई द्वारा 'युद्ध के लिए अनुपयोगी' घोषित कर दिया गया था, परंतु क्यूसीई की सिफारिशों के बावजूद एमजीओ द्वारा उसे जारी कर दिया गया था।

512 एबीडब्ल्यू ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि, पुर्जों की गैर-मौजूदगी में वर्कशाप के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय विचलन की माँग करना तथा ओवरहाल किए गए उपकरण को सौंप देना। इस उत्तर से यह साबित होता है कि, उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था क्योंकि,यह वाहन युद्ध परिदृश्य में रतौंधी से पीड़ित रहेगें।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, सिर्फ उन्हीं पुर्जो/एसेम्बलियों के लिए विचलन संस्वीकृतियाँ माँगी जाती हैं जिसका किसी भी परिस्थितियों में उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बताया गया कि, विचलन संस्वीकृति यदि सामरिक जरूरतों को प्रभावित करती है, तो आपूर्ति के स्रोत से आवश्यक पुर्जो की पावती मिलने तक उस विशिष्ट उपकरण को प्रयोग करने के लिए लाइन डायरोक्टरेट तथा एमजीओ शाखा के साथ विचार-विमर्श करके विचलन संस्वीकृति जारी की जाती है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, डीजीईएमई ने एसेम्बिलयों/सब-ऐसेम्बिलयों के स्वदेशीकरण के संदर्भ में अपनी चिंता स्वदेशीकरण निदेशालय को सूचित (मई 2015) की थी कि, पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण अल्प समय के लिए समस्याओं के निवारण के लिए विचलन संस्वीकृतियाँ प्रदान की गई तथा जिनके कारण उपकरण अधूरे रहे और जिन सामग्रियों की कमी है, वे कभी भी जारी नहीं किए गए। अतः यह साबित होता है कि, ऐसे उपकरण, जो हालाँकि युनिटों को जारी किए जाते हैं, प्रचलन के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं हैं।

4.3 आयुध फैक्टरियों द्वारा त्रुटिपूर्ण भण्डारों का न बदला जाना

फीडिंग डिपो को आयुध फैक्टरियों से उनके क्यूए द्वारा स्वयं प्रमाणन पुर्जे प्राप्त होते हैं जिन्हें एबीडब्ल्यू के गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) अनुभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। क्यूसी त्रुटिपूर्ण पुर्जो के लिए 'त्रुटि रिपोर्ट' की शुरूआत करता है तथा त्रुटियों की जाँच सीक्यूए द्वारा की जाती है जो सीलबद्ध विशिष्टताओं को धारण करने वाला प्राधिकरण (एएचएसपी) है। दोष-जाँच की समाप्ति के पश्चात, सीक्यूए आयुध फैक्टरियों/डीपीएसयू को दोषपूर्ण भण्डारों को बदलने/सुधार के लिए बैक-लोडिंग की सिफारिश करता है। हमने देखा कि, अधिकांश त्रुटिपूर्ण भंडारों को सप्लायर अर्थात मेसर्स बीईएल के द्वारा बदला गया था। तथापि, दोषपूर्ण भंडारों को बदलने में आयुध फैक्टरियों की प्रतिक्रिया बहुत ही कमज़ोर थी।

512 एबीडब्ल्यू

पुनरीक्षण अवधि के दौरान सीएएफवीडी ने बदलने हेतु ओएफ, मेडक को रू.3.19 करोड़ मूल्य के दोषपूर्ण भंडारों को वापस किया था, परन्तु एक से पाँच वर्षो (अक्तूबर 2015) तक की अवधि के पश्चात भी दोषपूर्ण भंडारों को बदला नहीं गया। ओएफ, मेडक ने नवम्बर 2015 में यह स्पष्ट किया कि, दोषपूर्ण भंडारों के लिए लागत का समायोजन नहीं किया गया था तथा अस्वीकृत सामग्रियों की उनके द्वारा संशोधित/मरम्मत की जाएगी।

510 ए बी डब्ल्यू

इसी प्रकार, 510 एबीडब्ल्यू द्वारा पुनरीक्षण अवधि दौरान 173 त्रुटि रिपोर्ट को उठाया गया। दोषपूर्ण भंडार ओएसएस 510 एबीडब्ल्यू में पड़ा हुआ था। इन दोषपूर्ण भंडारों को संबंधित डिपो को अभी भी वापस किया जाना बाकी था।

इस प्रकार दोषपूर्ण भंडारों को बदलने में आयुध फॅक्टरी की मंद गति तथा त्रुटिपूर्ण भंडारों को बैकलोड के लिए 510 एबीडब्ल्यू की ओर से होने वाले विलंब गंभीरता का विषय बन गया है क्योंकि, यह एबीडब्ल्यू की ओवरहाल प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

4.4 'सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपो' के क्रियान्वयन में विलंब

दो मुख्य वर्कशाप अर्थात् 505 तथा 512 एबीडब्ल्यू श्रेणी 'ए' वाहनों के ओवरहाल के लिए जिम्मेदार हैं, जो अपने-अपने उपकरणों के ओवरहाल के लिए पुर्जों की प्राप्त करने के लिए 6 केन्द्रीय आयुध डिपो पर निर्भर हैं। नीचे दर्शाए चार्ट-2 में एबीडब्ल्यू में मौजूदा पुर्जों की आपूर्तियों के लिए विद्यमान मॉडेल को दर्शाया गया है|

चार्ट 2: पूर्जों की आपूर्ति के लिए माडल

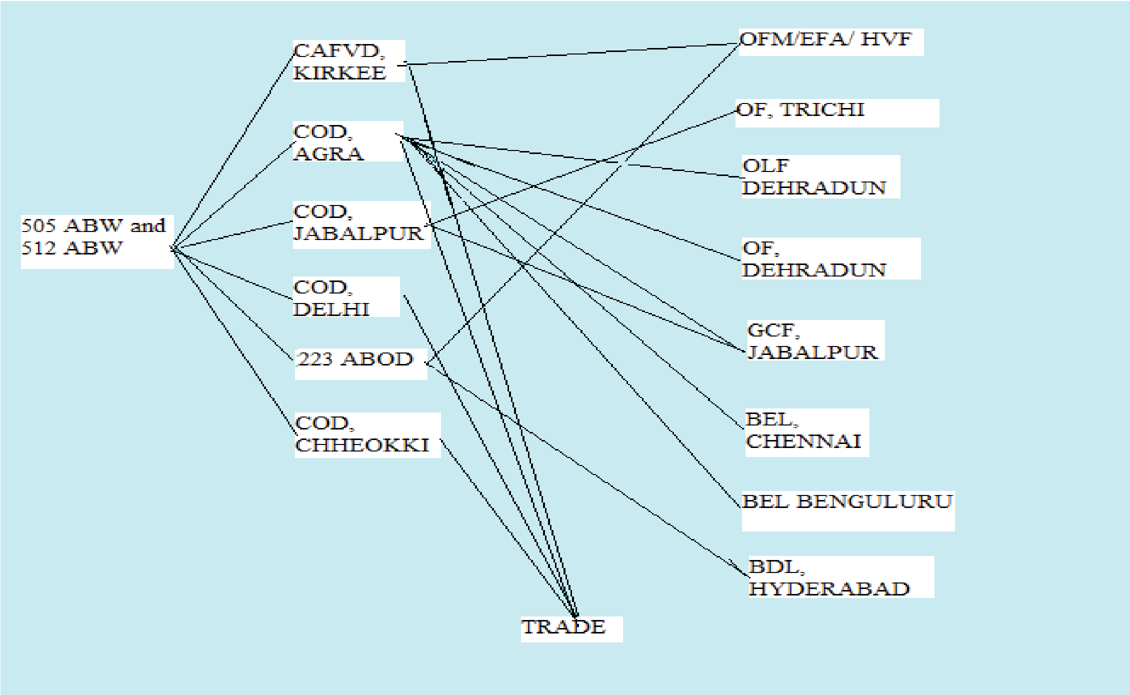

एबीडब्ल्यू के लिए उपकरणों के पुर्जों के लिए कई डिपो पर निर्भरता असंतोष का एक प्रमुख क्षेत्र था क्योंकि, उन्हें विभिन्न फीडिंग डिपो के साथ विविध माँगों को उठाना तथा उनमें अनुरूपता बनाए रखनी पड़ती थी। प्रयोक्ता की संतुष्टि में सुधार करने तथा बेहतर उपकरण व्यवस्था देने के लिए, एमजीओ ने जुलाई 2013 में संपूर्ण आयुध इन्वन्टरी को चरणबद्ध तरीकेसे पुनः वर्गीकृत करना तथा 'सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपो' के क्रियान्वयन के लिए रूपात्मक विस्तारण करना तय किया।

पायलट परियोजना के रूप में टैंक टी-72 तथा टी-90 के लिए सीएएफवीडी, किरकी को सिस्टिम डिपो के रूप में स्थापित किया जाना था। इसके लिए सभी केंद्रीय डिपो में से टी-72 तथा टी-90 टैंकों से संबंधित इन्वन्टरी को जानना और उसे दिसंबर 2013 तक सीएएफवीडी को हस्तांतरित किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि, सीओडी, आगरा से सीएएफवीडी को इन्वन्टरी का हस्तांतरण सितंबर 2015 में ही पूरा हो पाया। इसके अतिरिक्त सीएएफवीडी द्वारा इन पुर्जों (मार्च 2016) के लिए आपूर्ति आदेश अभी भी रखे जाने बाकी थे।

डीजीओएस (जुलाई 2016) ने अपने उत्तर में, टैंक-72 तथा टी-90 टैंकों के पुर्जों के प्रबंधन हेतु सीएएफवीडी को एकल खिड़की के रूप में कार्य जारी रखने की बात दोहराई परन्तु उन्होंने पायलट परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलंब पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दी।

4.5 आपूर्ति तथा ओवरहाल एजन्सी के बीच असमन्वयन के कारण उसकी परिणति अनुचित पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुई

डीजीओएस पुर्जों के प्रावधान के लिए जिम्मेवार है तथा डीजीईएमई सेना वाहनों के फ्लीट के ओवरहाल तथा रखरखावके लिए जिम्मेवार है। एमजीओ के अधीन दोनों ऐजेन्सियों को समयोचित तथा संतोषजनक ओवरहाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति तथा प्रबंधन पर निकटस्थ समन्वयन के साथ

कार्य करना आवश्यक है। तथापि हमने देखा कि, दोनों एजन्सिज़ के बीच असमन्वयन का परिणाम अनुचित पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

सेना में वर्ष 1999 से 2004 के बीच 352 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 को अधिप्राप्त किया गया था और इनको नियमित रूप से उपयोग में लाया जा रहा था। 15 वर्षों की अवधि में, पुर्जों का वेस्टेज पैटर्न स्थापित हो गया था।

हमने देखा कि, ₹ 1400.84 करोड़ की लागत के 204 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 के अनुबंध को मेसर्स बीईएमएल के साथ (अक्तूबर 2011) बनाते समय वेस्टेज पॅटर्न के मौजूद होने के बावजूद, एमआरएलएस (पुर्जो की उत्पादनकर्तों द्वारा सिफारिश की गई सूची) के अधीन अनुबंध में समाविष्ट करने के लिए पुर्जों की सूची को अन्तिम रूप देने से पहले ईएमई शाखा ने आयुध शाखा से परामर्श नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 765 पुर्जे, जहाँ वेस्टेज पैटर्न मौजूद था, को एमआरएलएस में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 83 सामग्रियों, जिनके लिए कोई वेस्टेज पैटर्न मौजूद नहीं था उन्हें शामिल किया गया। यदि आयुध शाखा के साथ परामर्श लेने के बाद एमआरएलएस की सूची को अन्तिम रूप दिया जाता, तो इन पुर्जों को अनुबंध में ही प्राप्त किया जा सकता था।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, हालाँकि पुर्जो का वेस्टेज पैटर्न स्थापित किया गया था, मेसर्स बीईएमएल पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पाया, अत: एमआरएलएस को अनुबंध में शामिल किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, एमआरएलएस के शामिल किए जाने के पूर्व डीजीईएमई के द्वारा भंडारण एजन्सी (डीजीओएस) के साथ परामर्श किया जाना चाहिए था ताकि ऐसे भंडार जिनका वेस्टर्ज पैटर्न स्थापित है केवल उन्हीं की ही अधिप्राप्ति की जा सके।

निष्कर्ष

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2005 की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई नोट में मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2006) था कि, पुर्जों के प्रबंधन के लिए, विविध कदम जैसे कि, त्रैमासिक पुर्जों की पुनरीक्षण बैठक बुलाना, लक्ष्य निर्धारण तथा मध्यावधि पुनरीक्षण बैठक, ओवरहाल वचनबद्धता की मानिटरिंग के लिए विशेष टॉस्क फोर्स का निर्माण करना, तथा आयुध शाखा के साथ नियमित सुसंवाद उठाए जाऐंगे। तथापि पुर्जों की समय पर उपलब्धता होने की समस्या बनी रही। ओवरहाल के लिए विलम्ब का मुख्य कारण था पर्याप्त रेंज तथा मात्रा और समय पर पुर्जों की अनुपलब्धता जिसके फलस्वरुप ओवरहाल के लिए उपकरण का बॅकलॉग रहा। आपूर्ति एजन्सियों पर फीडिंग डिपो द्वारा पुर्जों की माँगों को समय पर नहीं रखा गया। ओईएम, विशिष्ट उपकरण के पुर्जों की आपूर्ति के लिए सिंगल विंडों के रूप में प्राथमिक आपूर्तिकर्ता चयनित किए जाने के बावजूद भी असफल रहा क्योंकि, इसकी पूर्ती करने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमताएँ नहीं थीं।

क्रिटिकल पुर्जों की उपलब्धता न किए जाने के कारण विचलन संस्वीकृतियों के सहारे युनिटों तथा फार्मेशनों को ओवरहाल किए गए उपकरण जारी किए गए। इन अभावों को फील्ड क्षेत्रों में भी पूरा नहीं किया जा सका, जिसने उपकरण के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

एबीडब्ल्यू में पुर्जों की आपूर्ति का जटिल मॉडल था जिसमें उन्हें विभिन्न स्थानों में स्थापित विविध फीडिंग डिपो से उपकरण के लिए पुर्जों की माँग करनी पडती थी। हालाँकि, इस समस्या से उभरने के लिए सिस्टिम आधारित केंद्रीय डिपो की संकल्पना लायी गई, जिसमें टैंक टी-72 तथा टी-90 के लिए पुर्जों के प्रबंधन हेतु सीएएफवीडी को एकल खिड़की के रुप में नामित किया गया था। इस पायलट परियोजना को अभी क्रियान्वित किया जाना बाकी है ।

सिफारिशें

1. पुर्जों के समयबद्ध प्रावधानों, अधिप्राप्ति तथा उपलब्धता के लिए एक एकीकृत आईटी आधारित पुर्जो की प्रबंधन व्यवस्था रखी जाने की आवश्यकता है।

2. सेना द्वारा शुरु की गई सिस्टम आधारित डिपो की संकल्पना को वरीयता देते हुए क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

3. पुर्जों की उपलब्धता को बढ़ाने की अत्यावश्यकता के संबंध में, पुर्जों की उपलब्धता में आने वाले अवरोधों को पहचाना जाना चाहिए तथा इन पुर्जों को निर्माण या बाजार/ओएफ द्वारा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। 515 एबीडब्ल्यू में कार्य आदेशों के क्रियान्वयन में विलंब के कारणों का निदान तथा समाधान करने की आवश्यकता है।

(पराग प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

नई दिल्ली
दिनांकः 26 दिसम्बर 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

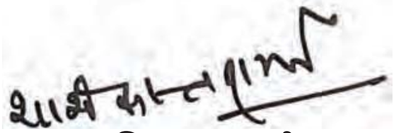

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 26 दिसम्बर 2016